140

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/श्योपुर/भू.रा/2017/2158 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 12—06—2017 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 276/बी—121/2015—16.

.....

1—भंवरी बाई पत्नी स्व0 जग्गू पुत्री देवल्या आदिवासी
निवासी डांडे का सहराना झा कोठी के पीछे श्योपुर
जिला श्योपुर म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर
2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर
3—तहसीलदार तहसील श्योपुर
4—मौजा पटवारी कस्बा श्योपुर

—— अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 पी0 पालीवाल, पैनल,अभिभाषक,

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-10-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12—06—2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजंस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कलेक्टर के न्यायालय में पक्षकार श्रीमती सरिता कुशवाह पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाह एडवोकेट गुरूद्वारे के पास श्योपुर जिला श्योपर ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर एवं अन्य–3 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत जनहित याचिका कमांक 5568/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.8.16 के कम में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर से कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण प्रारंभ किया गया। श्रीमती सरिता कुशवाह द्वारा अभयावेदन में बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका डब्ल्यू.पी.एन. 5568/16 में पारित आदेश दिनांक 12.8.16 के पालन में अभ्यावेदन मय तथ्यों सहित प्रकरण की जांच एवं उचित कानूनी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया था। कस्वा श्योपुर में भूमि सर्वे कमांक 306, 308 रकवा 10 बीघा 07 विस्वा स्थित है, जो वेश कीमती (20 करोड) है। उक्त भूमि को सुन्दरा पुत्र केशरा नाम आदिवासी ने दिनांक 25.2.69 को देवल्या पुत्र दोज्या नामक व्यक्ति से जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की और उक्त विकय पत्र के आधार पर देवल्या पुत्र दोज्या के स्थान पर सुन्दरा पुत्र केशरा का नामान्तरण उक्त भूमि पर वाहैसियत भूमिस्वामी सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया है। प्रस्तुत विकय पत्र जो कि दिनांक 25.2.69 को निष्पादित हुआ है की फोटो कॉपी प्रस्तुत की गई थी। यानि कि उक्त भूमि का भूमिस्वामी मूल रूप से देवल्या था, देवल्या के कोई लडका नहीं था जिसका उल्लेख कस्बा श्योपुर के खसरा संबत् 2036 से 2040 में दर्ज है। तहसील श्योपुर प्रकरण कमांक 12/अ–6/78–79 में आदेश दिनांक 13.9.82 से प्रश्नाधीन भूमि पर सुन्दरा पुत्र केशरा के नाम का नामांतरण किया है, यह इसलिये हुआ है क्यों कि कृषि उपज मण्डी समिति के लिये किये गये अधिग्रहण को निरस्त शसन द्वारा कर दिया गया है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि शहर के बीचो बीच आ गई थी गई थी, और इसी भूमि के बगल में उम्मेद सिंह एवं उसके भाईयों रामकृष्ण सिंह, सरवन सिंह और कश्मीर सिंह द्वारा भूमि सर्वे कमांक 306, 308 रकवा 10 बीघा 07 विस्वा को हड़पने के लिये एक दीवानी दावा न्यायालय व्यवहार न्यायाधीन वर्ग –2 श्योपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जो दिनांक 23.06.12 को खारिज हुआ। भंवरी बाई द्वारा एक आवेदन नामांतरण हेतु

तहसीलदार श्योपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 3/95–96/अ–6 पर पंजीबद्व होकर दिनांक 30.10.99 को आदेश पारित करते हुये उक्त न्यायालय ने उक्त भूमि को लावारिस मानते हुये म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत शासकीय मानते हुये शासन में वेष्ठित कर दिया गया और मौजा पटवारी को यह आदेशित किया कि वह उक्त भूमि की निगरानी रख उसे खुद बुर्द होने से बचाये। तहसीलदार के आदेश विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के न्यायालय में एक अपील भंवरी बाई की ओर से प्रस्तुत की गई जो अनुविभागीय अधिकारी श्योपूर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 52/99–2000/अपील पर दर्ज होकर निराकृत किया जाकर भंवरी बाई को भूमिस्वामिनी माना। जिसके विरूद्व अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 157/अपील/2001–2002 पर प्रचलित थी में दिनांक 28.11.2002 को आदेश पारित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के आदेश को भी अपास्त किया और प्रकरण तहसीलदार के न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। उक्त आदेश से दुखित होकर भंवरी बाई द्वारा प्रकरण राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया। राजस्व मण्डल द्वारा आदेश पारित करते हुये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा एवं निगरानी निरस्त की गई। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री एस0 के0 गुरूनानी द्वारा जवाब दावा आदि पेश किये गये हैं इन सब दस्तावेजों में प्रकरण में संलग्न होते हुये भी अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 7.1.16 को विधि विरूद्व आदेश पारित करते हुये उक्त शासकीय भूमि का नामांतरण भंवरीबाई के नाम कर दिया। जिससे भू–माफिया शासकीय भूमि को खुर्द बुर्द कर अवैध लाभ कमा सके। इस कारण मा0 उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर्ज की गई और कलेक्टर जिला श्योपुर को जांच के आदेश दिये गये। कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा दिनांक 12.06.17 को आदेश पारित करते हुये खसरा कमांक 306, 308 रकवा 10 बीघा 07 विस्वा को राजस्व अभिलेख खसरा में शासकीय भूमि की पृविष्ट करने के आदेश दिये। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण कमांक 3/94–95/अ–6 संधारित किया। तथा सभी पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 30.10.99 को आदेश पारित किया गया। जिसमें आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर एवं अन्य अपीलीय आदेशों में दर्शाये गये बिन्दु पर विचार करते उभयपक्ष को तलब किया गया। जिसमें सुन्दरा के जीवित होने एवं मृत होने की जांच करायी जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा अपना प्रतिवेदन मय पंचनामा के पेश किया जिसमें सुन्दरा 26–27 वर्ष पूर्व फौत होना बताया गया था। प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति के लिये फर्जी सुन्दरा को खड़ा कर कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें शपथ पत्र भी पेश किया गया जिसकी जांच तत्कालीन तहसीलदार द्वारा करायी गयी। जिसमें सुन्दरा नाम का कोई व्यक्ति जीवित होना नहीं पाया गया उम्मेद सिंह द्वारा फर्जी सुन्दरा लाया गया था जिसे तहसीलदार ने गलत पाकर उम्मेद सिंह पुत्र कल्याण सिंह के विरूद्व अपराध दर्ज कराया गया था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि भूमि के संबंध में एक बाद दीवानी न्यायालय में भी प्रचलित है परन्तु न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है। विवादित भूमि का भूमि स्वामी सुन्दरा पुत्र केशरा फौत होने के कारण वैद्य वारिस न होने से भूमि शासन अभिरक्षा में समाहित की जाती है। यदि तीन साल के भीतर सुन्दरा का कोई वारिस स्वयं उपस्थित होकर अपना स्वत्व प्रस्तुत नहीं करता है तो उक्त भूमि तीन साल के वाद राज्य शासन में वैष्ठित समझी जायेगी का आदेश पारित किया गया। अपने तर्क में कहा गया है कि उक्त आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकरी श्योपुर को प्रकरण कमांक 52/1999–2000 प्रस्तुत की गयी उसी दौरान दीवानी न्यायालय में प्रचलित व्यवहार वाद कमांक 186ए में उभयपक्षों के मध्य लोक अदालत में समझौता कर लोक अदालत के प्रकरण कमांक 1/2000 में आदेश दिनांक 10.9.2000 द्वारा विवादित भूमि पर पूर्व भूमि स्वामी देवल्या की पुत्री होकर भूमिस्वामी है। लंबित नामांतरण का प्रकरण विधि अनुसार निराकृत कराने की अधिकारी है कि डिकी प्रदान की गयी। जिसे आधार मानकर दिनांक 27.5.02 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विवादित भूमि का भूमि स्वामी देवल्या के उत्तराधिकारी के रूप में भंवरी बाई घोषित किये जाने में भंवरी बाई को भूमि स्वामी मान्य

करते हुये विवादित भूमि पर भंवरी बाई के नाम नामांतरण किये जाने का आदेश दिया गया। अपने तर्क में कहा है कि इसी बीच लोक अदालत में पारित आदेश दिनांक 10.9.2000 की डिक्री की अपील मान्य द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्योपुर के प्रकरण कमांक 31ए/06 दिनांक 12.1.01 प्रस्तुत हुआ। जिसमें पारित आदेश दिनांक 29.9.06 को लोक अदालत की डिक्री आदेश दिनांक 10.9.2000 को विधिवत् नहीं होने से निरस्त किया गया। और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा आवेदका को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान कये बिना जो आदेश पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि कलेक्टर जिला श्योपुर अपने आदेश के पृष्ठ कमांक 32 के पैरा 8 में स्वीकार किया है, कि निर्विवाद रूप से वादित भूमि देवल्या की थी। तथा इसी पैरा में शिकायत कर्ता अनावेदिका के रिस्तेदार को विवादित भूमि हड़पने हेतु प्रयासरत बताया है। तथा अधीनस्थ न्यायालय का यह भी स्वीकृत तथ्य है कि कस्बा श्योपुर की भूमि कमांक 306, 308 रकवा 10 बीघा 07 विस्वा भूमि का देवल्या पुत्र दोज्या जाति सहर एक मात्र भूमि स्वामी था। ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को जांच में लिया गया है जबकि पीडित पक्ष द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कम में कार्यवाही किये जाना उल्लेखति किया गया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में केवल वादित भूमि के शासकीय एवं नहीं होने के संबंध में विस्तृत बर्णन करने का आदेश कलेक्टर श्योपुर को दिया था। परन्तु कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का विधि विरूद्व उपयोग कर आवेदिका के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि को शासकीय घोषित कर विधि की घोर अवहेलना की गयी है एवं साथ ही माननीय उच्च

न्यायालय पारित आदेश की अवहेलना की गयी है। तर्क यह में यह भी कहा गया है कि खसरा पंचशाला 2015 से लगायत 2050 में वादित भूमि शासकीय संपत्ति नहीं रही है, जबकि संहिता के लागू होने के पूर्व भी वादित भूमि व्यक्तिगत संपत्ति थी। ऐसी स्थिति में इन समस्त तथ्यों स्वीकार करने के उपरांत भी कलेक्टर श्योपुर द्वारा वादित भूमि को शसकीय घोषित कर दिया गया जो विधि एवं तथ्यों की गंभीर भूल की है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है किं आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.6.17 अपास्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का आदेश दिनांक 7.1.16 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किंया गया है।

5– अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता का तर्क है कि कलेक्टर जिला श्योपुर का आदेश विधि प्रावधानों से उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः कलेक्टर का आदेश दिनांक 12.6.17 स्थिर रखा जावे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

6– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न प्रकरण का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा आदेश में विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है उसे दौहराने की आवश्यकता नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने शसकीय भूमि होने के तथ्यों के संबंध में कोई परीक्षण नहीं किया है । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर ने भूमि हडपने के लिये प्रयासरत पक्ष भंवरी बाई एवं कु0 रीतू पुत्री विजेन्द्र सिंह कु0 नीतू पुत्री योगेन्द्र सिंह कु0 पीहू पुत्री सतेन्द्र सिंह कश्मीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह श्रवण सिंह पुत्र कल्याण सिंह उम्मेद सिंह पुत्र कल्याण सिंह रामकृष्ण सिंह पुत्र कल्याण सिंह घनश्याम पुत्र सुन्दर आदिवासी कपूर पुत्र सुन्दर आदिवासी जो कि दोनो पक्ष इस भूमि हडपने के लिये प्रयासरत रहे है, उनके हित के हिसाब से प्रकरण की विवेचना कर तहसीलदार के शसकीय भूमि होने के तथ्यों को नजर अंदाज करते हुये भंवरी बाई के नाम भूमि दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है वह वैध नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने भंवरीबाई के नाम

भूमि दर्ज कर उसका विक्रय की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जिसको आधार मानकर राजस्व मण्डल से विक्रय की अनुमति प्राप्त कर भूमि को उम्मेद सिंह पुत्र कल्याण सिंह एवं अन्य व्यक्ति षणयंत्र में सम्मिलित हैं । म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 6(ग) के तहत अनुसूचित जनजाति की भूमि को गैर अनुसूचित जनजाति को विक्रय की अनुमति प्रदान करने या न करने के अधिकार कलेक्टर को हैं, अनुविभागीय अधिकरी श्योपुर को इस प्रकार का आवेदन ग्राह्य कर निरस्त करने के अधिकार नहीं थे, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर श्योपुर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। तहसीलदार का प्रकरण कमांक 3/अ–6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 18.5.2011 उचित होने से कलेक्टर द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला श्योपुर का प्रकरण कमांक 276/2015–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2017 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदिका द्वारा निगरानी सारहीन होने से निरसत की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय से उक्त प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के निराकरण के संबंध में जो भी अंतिम आदेश पारित होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाये।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर